| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील सं 15/2023 | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3/11/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22-8-22 को तहसील श्रीमाधोपुर में पेश कि। रिर्पोट के आधार पर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। जिसमें अंकित किया है कि राजस्व ग्राम डेरावाली के भूमि ख० न० 496।, रकबा 18.84 हे० मे रकबा 0.02 हे० पर पक्की दीवार लगाकर अतिक्रमण किया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा भूमि ख० न० 496। में कोई अतिक्रमण नही किया है जबकि पक्की दीवार लगाकर जो कार्य किया है जो भूमि 497 में किया है। भूमि ख० न० 497 का अधिकांश भाग आबादी के उपयोग में आ रहा है। बिजली कनेक्शन ले रखा है। अतिक्रमण बाबत जो रिर्पोट पेश कि गई है जो मौके पर सही नाप जोक करके नही कि गई है। प्रकरण का निस्तारण न्याय संगत हो सके इस बाबत अपीलान्ट द्वारा मौके पर नाप जोक ETS मशीन से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारीज किया गया। एवं विवादित निर्णय पारित कर दिया गया जो राजनीती द्वेषता के कारण किया गया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे एवं ETS मशीन द्वारा मौके पर नाप जोक कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु आदेश प्रदान किया जावें।<br>वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के [illegible] रिकार्ड का अवलोकन किया गया। न्याया[illegible] द्वारा इसी भूमि बाबत [illegible] भूमि का चारो दिशा[illegible] जांच व सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया था। जो इस आदेश कि पालना में पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा नाप जोख कर<br>.... 2 .... | |

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:48 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (2) | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |

पुनः रिपोर्ट ली गई जिसमे भी अपीलान्ट को अतिचारी बताया गया है। जबकि प्रकरण का सही रूप से निस्तारण व मौके पर सही नाप जोख करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा सीमाज्ञान व पैमाइश ETS मशीन से करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जहां तक न्यायालय का मानना यह है कि भूमि का सीमाज्ञान व पैमाइश ETS मशीन से करवाया जाता है तो प्रकरण का निस्तारण सही रूप से होना प्रतीत होता है। जिससे बार-बार न्यायालय का समय खराब ना हो। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22-8-22 को जो रिपोर्ट पेश कि गई है जिसमें पिछे जो नजरी नक्शा तैयार किया है जिसमे कितने रकबे पर अतिक्रमण कर रखा है जिसका कोई अंकन नही है। नजरी नक्शा में अतिक्रमण बाबत रकबे की लम्बाई चौडाई का कोई अंकन नही है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 3-2-23 को जो फर्द मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश कि गई है जिसमें जरीब - कितनी लम्बाई चौडाई मे चलाई गई जिसका कोई अंकन नही है। इस प्रकार प्रस्तुत रिपोर्ट भी अधूरी प्रतीत होती है। इन सभी तथ्यो के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर मौके पर सीमाज्ञान व पैमाईश E.T.S मशीन द्वारा करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है तथा न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण सं 7/22 निर्णय दिनांक 9-3-23 अपास्त किया [illegible] लान्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] आदेश के साथ रिमाण्ड [illegible] भूमि का सीमाज्ञान [illegible] E.T.S मशीन द्वारा करवाया जावे एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर अपीलान्ट को दिया जाकर एवं रिकार्ड

---- 3 ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:48 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>(3) | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| | का पूर्ण रूप से अवलोकन किया जाकर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करें। ET-S मशीन का खर्चा अपीलान्ट से वसूल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय की प्रति के साथ तहरीर जारी कि जावें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(अनिल कुमार)<br>अतिरिक्त जिला कलक्टर<br>एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट<br>नीमकाथाना | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:48 IST
Reason: SelfAttested